कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
(खनिज–अनुभाग)

पत्रांक 631 / खनिज सहायक–ई–निविदा–2026–27 दिनांक– 12 मई, 2026

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 (यथासंशोधित) के नियम–23 व शासनादेश सं0–781 / 86–2020–14(सा0) / 2020 दिनांक–23.05.2020 के निर्देशानुसार इस कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति–587 / खनिज सहायक–ई–निविदा / 2025–26 दिनांक–10.04.2026 द्वारा अधिकतम 06 माह की अल्प अवधि के लिये निम्न खनन क्षेत्र को विज्ञापित किया गया था। उक्त विज्ञापित क्षेत्र में शून्य निविदा प्राप्त होने के कारण पुनः ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से दिनांक–20.05.2026 से 25.05.2026 को सायं 05:00 बजे के लिये ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर पुनः ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र विवरण				जियोकॉर्डिनेटस			रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	खनन योग्य अनुमानित उप खनिज की मात्रा (घनमी0) में	आधार मूल्य (रायल्टी दर X आंकलित मात्रा)	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं / खण्ड सं0 /	क्षेत्रफल (है0मे0)							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12
1	सा0 बालू–I	यमुना	सदर फिरो0	गुदाऊँ	1515	2.760 है0	1	27°7’33.92”N,	78°21’34.30”E	80	55,200	44,16,000	22,08,000
							2	27°7’38.14”N,	78°21’33.52”E				
							3	27°7’38.36”N,	78°21’22.77”E				
							4	27°7’35.39”N,	78°21’26.40”E				

1– अनुज्ञापत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिए होगी।

2– जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी।

3– किसी क्षेत्र के ई–निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री–बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तदनुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग–अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

4– ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के लिये मौके पर निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5– यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई–निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी :–

(क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स / कन्ट्रैक्टर्स / बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) इच्छुक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से **"etenders.up.nic.in"** पर ऑनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति / फर्म / कम्पनी को ई–निविदा **"etenders.up.nic.in"** के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।

(ग) बिडर्स / कन्ट्रैक्टर्स / बेन्डस ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

6— निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय **"etenders.up.nic.in"** पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :—

प्रारूप– 2 की सूचनायें :—

क— विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख— विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग— निविदाकार का नाम, पिता का नाम, (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0।

घ— उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड— अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0–2000/– का चालान संख्या व दिनांक।

च— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ— पैन कार्ड का क्रमांक।

ज— चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

झ— कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

ञ— हैसियत प्रमाण पत्र।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण–पत्र :—

क— ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0–2,000/–का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग— पैन कार्ड।

घ— जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

ड— सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7— विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को दिनांक–27.05.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8— यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है, तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप–2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9— बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले तिथि के अगले कार्यदिवस) तक अर्थात् दिनांक–26.05.2026 अपराह्न 05:00 बजे तक कार्यालय जिलाधिकारी, फिरोजाबाद (खनिज–अनुभाग) फिरोजाबाद में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10— सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखो की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखो से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखो के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11— सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

12– प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी0एम0एफ0 एवं टी0सी0एस0 देय होगा।

13– जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रो के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–14.09.2006 के प्राविधानो के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा–पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14– पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा।

15– अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16– पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा।

17– क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तों का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18– मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

19– पट्टाधारक नियम–36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट/तौल मशीन का निर्माण करेगा। पट्टाधारक द्वारा उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक वाहन के सापेक्ष निर्गत किये गये ई–प्रपत्र एम0एम0–11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगा और उसका समुचित रुप से रख–रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0सी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गई समस्त रिकार्डिग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम–67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिगं को उपलब्ध करायेगा।

20– पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई–एम0एम0–11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई–एम0एम0–11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।

21– अनुज्ञाधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नही करेगा।

22– जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

23– नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नही किया जायेगा।

24– स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।

25— यदि अनुज्ञाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञाधारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा समाप्त किया जा सकता है।

26— पर्यावरण प्रभाव आंकलन करते समय टीटीजेड क्षेत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

27— नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञाधारक द्वारा किया जायेगा।

28— राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञाधारकों को मान्य होगा।

(संतोष कुमार शर्मा)
जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद।

पत्र संख्या व दिनांक उपरोक्त :—
प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2— निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3— आयुक्त, महोदय आगरा मण्डल आगरा।
4— क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा।
5— प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7— प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद फिरोजाबाद।
8— समस्त उप जिलाधिकारी जनपद फिरोजाबाद को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
9— जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), फिरोजाबाद को वेबसाइट **firozabad.nic.in** पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
10— नाजिर सदर कलेक्ट्रेट फिरोजाबाद को मुख्य सूचना पट पर चस्पा करने हेतु।

जिलाधिकारी
फिरोजाबाद।

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम– ड़. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या– च. क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/शपथ पत्र (अदेयता प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/ शपथ पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी)	
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14.	कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या (DIN की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15.	क्षेत्र में निर्धारित/आंकलित मात्रा को नियमावली के अनुसूची एक में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर के गुणाक का 50 प्रतिशत (अर्नेस्ट मनी) का ड्राफ्ट धनराशि व ड्राफ्ट का विवरण (बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	ड्राफ्ट धनराशि ----- बैंक का नाम व शाखा ----- ड्राफ्ट का नम्बर -----

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by MAFAT LAL
Date: 2026.05.13 14:57:11 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner